O/o CE (EITC)
Receipt No. ...427
Date 01 JUN 2020
DGM (IT) / SE (O)
E.......Lilak...

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय कार्यपालक निदेशक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 07 / 2020 दिनांक 17.02.2020

श्री आर.के.तिवारी
सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (सिविल)
शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.)

अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,डंगनिया, रायपुर

प्रतिअपीलार्थी

–:: आदेश ::–

(दिनांक 30/05/2020 को पारित)

अपीलार्थी श्री आर.के.तिवारी जबलपुर (म.प्र.) की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी से असंतुष्ट होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 07 / 2020 दिनांक 17.02.2020 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 18.09.2019 एवं (दिनांक 06.11.2019) के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से निम्नलिखित जानकारी चाही गई है :–

छ.ग. राज्य पॉवर होल्डिंग कंपनी के अंतर्गत उत्पादन / पारेषण / एवं वितरण कंपनी के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदो के अंतर्गत मुख्य अभियंता से कार्यपालक निर्देशक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नत आदेश की सत्यापित प्रति :–

(i) वर्ष 2010–11 में किये गये अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पद पर सामान्य वर्ग की पदोन्नत अधिकारियों की आदेश की प्रति।

(ii) वर्ष 2010–11 से लेकर 2011–12, 2012–13, 2013–14, 2014–2015, 2015–2016 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के रिक्त पद के विरूद्ध सामान्य वर्ग के अधिकारियों के प्रमोशन की स्वीकृति हेतु नोटशीट की प्रति।

अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 24.12.2019 के माध्यम से जनसूचना अधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी गई जानकारी को अधूरा प्रकट करते हुए, पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से अपील प्रस्तुत किया गया है, जो इस कार्यालय में दिनांक 26.12.2019 को प्राप्त हुआ है। उक्त अपील के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी द्वारा अपील आवेदन में निर्धारित पंजीयन शुल्क रूपये 50 /–मात्र का भुगतान नही किया गया। अतः पत्र क्रमांक 242 दिनांक 17.01.2020 के माध्यम से अपीलार्थी को उनका आवेदन पत्र वस्तुस्थिति को स्पष्ट करते हुए उन्हे मूलतः वापस किया गया है।

अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन दिनांकित 13.02.2020 निर्धारित पंजीयन शुल्क रु 10/-मात्र के भारतीय पोस्टल आर्डर सहित इस कार्यालय में दिनांक 17.02.2020 को प्राप्त हुआ है। जिसे पंजीयन क्रमांक 07/2020 दिनांक 17.02.2020 के द्वारा पंजीबद्ध किया गया है। पत्र क्रमांक 13 दिनांक 26.02.2020 के माध्यम से अपील प्रकरण की सुनवाई दिनांक 17.03.2020 को समय 4:00 बजे निर्धारित कर, प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया एवं अपीलार्थी श्री तिवारी को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित तिथि को समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया।

(4) सुनवाई तिथि को अपीलार्थी श्री तिवारी अनुपस्थित एवं प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (**Deemed Public Information Officer**) उपस्थित हुए। अतः प्रकरण में गुण दोष के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई की कार्यवाही की गई।

(5) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि कंडिका 02/-टीप में उल्लेखित जानकारी उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)-एक होल्डिंग कंपनी के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया। जिसके तारतम्य में संबंधित प्रभाग के द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2010-11, 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-2015 एवं 2015-2016 में सिविल संकाय में कार्यपालक निदेशक के अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध अनारक्षित संवर्ग के किसी भी अधिकारियों की पदोन्नति कार्यपालक निदेशक के पद पर नही की गई है। उक्ताशय की वस्तुस्थिति से आवेदक को निर्धारित समयावधि के भीतर पत्र क्रमांक 3158 दिनांक 07.12.2019 के द्वारा अवगत करायी गई है।

(6) (i) निर्धारित तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, प्रतिअपीलार्थी के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रथम अपील आवेदन तर्क कि जनसूचना अधिकारी के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करायी गई है वह अधूरा है। अतः उन्हे पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जावे।

(iii) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी तथा संबंधित प्रभाग के (**Deemed Public Information Officer**) का पक्ष की कंड़िका 02/-टीप में चाही गई जानकारी के संदर्भ में आवेदक को अवगत कराया गया है कि (सिविल संकाय) में कार्यपालक निदेशक के अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध अनारक्षित संवर्ग के किसी भी अधिकारियों की पदोन्नति कार्यपालक निदेशक के पद पर नही की गई है।

(7) इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह स्पष्ट है कि कंड़िका 2/-टीप में चाही गई जानकारी के संबंध में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा कंड़िका 05/-टीप में निर्धारित समयावधि के भीतर जो कार्यवाही की गई है, वह अपीलार्थी के शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होता है. अतः प्रकरण में हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अपीलार्थी द्वारा वर्ष 2010 से वर्ष 2016 तक उत्पादन/पारेषण/एवं वितरण कंपनी के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के रिक्त पदो के विरूद्ध मुख्य अभियंता से कार्यपालक निर्देशक के पद पर पदोन्नत अधिकारियों के पदोन्नति आदेश तथा नोटशीट की सत्यापित प्रति चाही गई है। अतः प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी द्वारा (सिविल संकाय) में कार्यपालक निदेशक के अनुसूचित जाति/जनजाति संवर्ग के रिक्त पदों के विरूद्ध अनारक्षित संवर्ग के किसी भी अधिकारियों की पदोन्नति कार्यपालक निदेशक के पद पर नही हुई है कि जानकारी से अपीलार्थी को अवगत करायी गई है, जो पूर्णतः सही जानकारी है।

लेख है कि छ0 ग0 राज्य में नोबल कोरोना वायरस (COVID –19) के भयंकर संक्रमण एवं रोकथाम के दृष्टिगत दिनांक 22.03.2020 से दिनांक 03.05.2020 तक सामाजिक दूरी बनाये रखने के दृष्टिगत निरंतर लॉकडाउन की स्थिति थी। कार्यालयीन कार्यो में शासन के निर्देश के अनुरूप (पूर्व में एक तिहाई तथा वर्तमान में 50 प्रतिशत) कार्मिको की सेवाएं कार्यालयीन कार्यो में लिये जाने के परिणाम स्वरूप दैनंदिनी व समय–सीमा प्रकरण संबंधी कार्यालयीन कार्य आंशिक रूप से प्रभावित हुआ है। ऐसी स्थिति में सूचना का अधिकार से संबंधित प्रथम अपील प्रकरण में कार्यवाही समय–सीमा में नही की जा सकी है।

जहाँ तक अपीलार्थी का अपील का प्रश्न है, पूर्वगामी विवेचन के प्रकाश में अपीलार्थी को जानकारी/दस्तावेज उपलब्ध करायी जा चुकी है। तद्नुसार यह अपील अस्वीकार की जाती है

उपरोक्त के दृष्टिगत दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 07/2020 दिनांक 17.02.2020) एतद् द्वारा नस्तीबद्ध की जाती है।

(एच.के.पाण्डेय) 30/5/2020
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक :– 01–02/अपील प्रकरण –07/2020/ 22 रायपुर, दिनांक 30/05/2020

प्रतिलिपि :–

(1) जनसूचना अधिकारी सह उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(2) उप महाप्रबंधक (मा0सं0)–एक, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
(3) श्री आर.के.तिवारी सेवानिवृत्त मुख्य अभियंता (सिविल) प्लाट नबंर– आर–24 मातृपितृ छाया, शक्ति नगर, जबलपुर (म.प्र.) पिन– 482001 को सूचनार्थ प्रेषित।
(4) कार्यपालक निदेशक (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि.,रायपुर –उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छ0 ग0 सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पता :– सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक
अटल नगर, जिला– रायपुर (छ.ग.)
पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

(एच.के.पाण्डेय) 30/5/2020
अपीलीय अधिकारी
सह कार्यपालक निदेशक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700